संख्या- 116/2015/1890/41-2015-25 सा0/14 टी0सी0

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ,दिनांक 11 अगस्त,2015

विषय- जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में पर्यटन विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश स्तर पर मा0 मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता में एक पयर्टन प्रोत्साहन का गठन किया गया है, जिससे कि प्रदेश में पर्यटन योजनाओं के क्रियान्वयन में त्वरित निर्णय, आवश्यक बजट व्यवस्था तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय को गतिमान ढंग से मूर्तरूप प्रदान किया जा सके और पर्यटन विकास की नवीन सम्भवानाओं के अन्वेषण/दोहन एवं पर्यटन उद्योग की समस्याओं के निस्तारण हेतु त्वरित कार्यवाही कराने में सहूलियत प्राप्त हो सके और उत्तर प्रदेश को एक अन्तर्राष्ट्रीय गन्तव्य केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सके।

(2) प्रदेश स्तर पर गठित किये गये उपरोक्त पर्यटन प्रोत्साहन परिषद की भॉति पर्यटन के उद्येश्य से महत्वपूर्ण चिन्हित 36 जिलों में जिनका उल्लेख प्रस्तर-4 में है, इसी प्रकार की जिला पर्यटन प्रोत्साहन का गठन किये जाने की आवश्यकता है, जिससे उक्त जनपदों में पयर्टन परियोजनाओं/पर्यटन प्रचार-प्रसार/ब्रांन्डिग-प्रमोशन आदि के सम्बन्ध में जिला स्तर पर विचार-विमर्श/निर्णय और उसका प्रभावी क्रियान्वयन करना सहज होगा।

(3) जिला स्तरीय परिषद का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न आकर्षकों-नैसर्गिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धराहोरों का संरक्षण तथा संवर्धन, प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को प्रमुख स्थलों पर जुडे व्यक्तियों तथा स्थनीय समुदाय के आर्थिक विकास/प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के साधनों का सृजन तथा सांस्कृतिक धरोहरों एवं परम्पराओं को अक्षुण बनाए रखना होगा। सामान्य जन समुदाय स्थानीय क्षेत्र के अन्य विभिन्न विशेषज्ञों को पयर्टन विकास कार्यक्रमों/गतिविधियों से जोडना/जागरूक करना एवं प्रचार व प्रोत्साहन करना एवं पर्यटन के विकास हेतु नयें क्षेत्रों की पहचान करना तथा पयर्टन विकास में होने वाली गतिरोध/समस्याओं का चिन्हीकरण करते हुए उनका समाधान करना होगा। पर्यटन विभाग द्वारा आम नागरिकों के सुझावों को प्राप्त किये जाने हेतु भी एक व्यवस्था बनाये जाने पर विचार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश के 36 जनपदों यथा-गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, कोशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, बरेली, फर्रूखाबाद, पीलीभीत, बाराबंकी, रायबरेली, रामपुर, गाजियाबाद, जौनपुर एवं गाजीपुर में एतद्द्वारा निम्नानुसार जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का गठन किया जाता है:-

<u>जिला स्तरीय समिति</u>

क-	सम्बन्धित जिलाधिकारी	अध्यक्ष
ख-	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
ग-	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
घ-	सम्भागीय वनाधिकारी/प्रदूषण अधिकारी	सदस्य
ड-	नगर आयुक्त	सदस्य
च-	क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0 सडक प0नि0	सदस्य
छ-	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
ज-	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
झ-	क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी/पुरातत्व अधिकारी	सदस्य
ट-	जिला कोषाधिकारी	कोषाध्यक्ष
ठ-	पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी।	सचिव

ड- सम्मानित विशेष आमंत्री-

(1) मा0 सांसद
(2) मा0 विधायक
(3) मा0 महापौर
(4) मा0 अध्यक्ष, नगर निकाय
(5) मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत

ढ- पर्यटन से जुडे व्यक्ति/संस्थाओं के सदस्य जिलाधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगे, ये सदस्य पर्यटन उद्योग के निम्नलिखित वर्णित क्षेत्रों से होंगे:-

1- होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष
2- व्यापार मण्डलों के अध्यक्ष
3- इण्डियन एसोसिएशन ऑफ टूअर आपरेटर्स का प्रतिनिधि
4- ट्रैवेल एजेण्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया का प्रतिनिधि
5- सूचना एवं प्रैद्योगिकी उद्योग

http://shasanadesh.up.nic.in

6- साहित्य जगत (इतिहास पर्यटन, कला, संरक्षण एवं संस्कृति विषय को वरीयता)

7- इलेक्ट्रानिक/प्रिन्ट मीडिया

8- इन्टैक के प्रतिनिधि/संरक्षण से जुडी संस्था के प्रतिनिधि

9- गाइड एसोसिएशन का प्रतिनिधि

10- स्थानीय स्तर पर युवा संगठन का प्रतिनिधि

11- नगर निगम के 03 पार्षदों महापौर/नगर अध्यक्ष द्वारा नामित किये जायेंगे, जो पर्यटन स्थलों के वार्ड से हो तथा समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधि करते हो।

ण- प्रदेश के स्मारकों/स्थलों के मूलस्वरूप को सुरक्षित रखने एवं पुरातात्विक मानकों एवं सिद्धांतों के अनुरूप विकास कार्य निष्पादन की दृष्टि से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि।

(5) जिला स्तरीय पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के समस्त पदाधिकारी पदेन अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित होंगे, जो कि स्थानान्तरण आदि के फलस्वरूप उनके उत्तराधिकारी स्वत: परिषद के पदेन पदाधिकारी हो जाएंगे।

(6) <u>जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के कार्य:-</u>

(1) जनपद में पर्यटनोन्मुखी वातावरण एवं पयर्टन क्षेत्र में निर्देश हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करना।

(2) पर्यटन सम्भावनाओं से परिपूर्ण स्थलों के पर्यटन विकास तथा पर्यटकोचित आयोजनों हेतु प्राथमिकताबद्ध तरीके से कार्य योजना तैयार करना।

(3) पर्यटन विकास हेतु प्रचलित नीतियों को लागू करना तथा इसको बेहतर बनाये जाने हेतु परिपक्व सुझाव देना।

(4) अन्य प्रदेशों एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन विकास से जुडे कार्यों एवं आयोजनों पर चर्चा करना एवं तदनुसार उक्त के स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन हेतु प्रयास करना।

(5) परिषद के द्वारा जनपद के पर्यटन विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु कार्य योजना तैयार की जायेगी, जिसका क्रियान्वयन अन्तर्विभागीय वित्तीय पर समन्वय एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थानीय स्तर पर किया जायेगा।

(6) परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रस्ताव वित्तीय व्यवस्था हेतु परिषद द्वारा महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) वर्ष के पक्ष में जिसमें पर्यटकों का आवागमन में वृद्धि होती हों/पर्यटन गतिविधि चरम पर हो, की मांग के अनुसार क्षेत्र के विद्यमान पर्यटन की सम्भावनाओं/सुविधाओं का प्रचार-प्रसार करना तथा पर्यटन के प्रोत्साहन हेतु विशेष प्रयास करना।

(8) क्षेत्र की समस्त जन-व्यवस्था/सुविधाओं का इस प्रकार से प्रबन्ध करना, प्रोत्साहन देना तथा उनका क्रियान्वयन करना जिससे की वह पर्यटन की वृद्धि में लाभकारी हो तथा

http://shasanadesh.up.nic.in

समय व मांग के अनुसार पर्यटन के क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं को निजी क्षेत्र के सहभागियों द्वारा उठाये गये कदमों का सहायता प्रदान करते हुए उनके अनुकूलन को बढावा देना/सहयोग करना।

(9) क्षेत्र में **MICE (MEETING INSENTIVE, CONFRENCE EXIHIBITION)** गतिविधियों का आयोजन करना तथा बढावा देना।

(10) पर्यटन के विभिन्न आयामों यथा-आवास, खान-पान, ट्रैवेल एजेन्सी, संस्कृति तथा मनोरंजन/आन्न्द प्रदाय गतिविधियों को प्रोत्साहन देना।

(11) विभिन्न सृजित पर्यटन उत्पाद/सम्भावनाओं को पर्यटक को अधिकतम भाग में उपलब्ध कराने हेतु उनका प्रबन्ध/वितरण करना।

(12) पर्यटन के विकास हेतु सरकारी/गैर सरकारी/निजी सहभागियों के मध्यम समन्वय स्थापित करना।

(13) आवश्यकतानुसार निहित नियम व निर्देशों के अन्तर्गत क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु संस्थाओं/सहभागियों के बीच एग्रीमेण्ट **(MOU)** निष्पादित करना। पर्यटन के विकास हेतु उक्त एग्रीमेन्ट में लिए जाने वाले टर्म एवं कण्डीशन का एक मानक एग्रीमेन्ट बनाने पर विचार किया जायेगा।

(14) क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक/सांस्कृतिक धरोहरों या प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण में योगदान करना। धरोहरों के सरंक्षण में योगदान के परिप्रेक्ष्य में यदि धरोहरें पुरातत्व विभाग से सम्बन्धित है तो भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग/मंत्रालय से अनुमति/अनापत्ति प्राप्त की जायेगी।

(15) जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद द्वारा विधिसम्म्त ऐसे विशेष पहल/कार्य जो पर्यटन के दृष्टिकोण से आवश्यक हों, किये जा सकते है।

(16) परिषद द्वारा पारित दिशा निर्देशों के अनुपालन तथा क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व पर्यटन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं का होगा।

(17) जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद द्वारा पर्यटन आकर्षणों के प्रोत्साहन एवं प्रचार-प्रसार हेतु निजी क्षेत्र के माध्यम से/अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त कर एक निधि की स्थापना की जायेगी।

(18) प्रदेश में ब्रज संरक्षण एवं विकास निधि, अवध संरक्षण एवं विकास निधि तथा वाराणसी संरक्षण एवं विकास निधि पूर्व से संचालित हैं। उक्त सिमतियों मण्डलायुक्त-अध्यक्ष, जिलाधिकारी-उपाध्यक्ष, जिला कोषाधिकारी-कोषाध्यक्ष तथा पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी-सचिव नामित है। प्रस्तावित जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति से अनुरोध कर धन प्राप्त करके सम्बन्धित जनपद का विकास कर सकती है।

(19) जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का अध्यक्ष- जिलाधिकारी, कोषाध्यक्ष-जिला कोषाधिकारी एवं पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी को सचिव नामित किया

http://tourism.up.nic.in

गया है, जो जिला स्तर पर नियमानुसार उ0प्र0 सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करायेंगे।

(20) प्रत्येक जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का रजिस्ट्रेशन उ0प्र0 सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत किया जायेगा।

(21) जिलाधिकारी समय-समय पर किसी विषय पर परामर्श देने या सहयोग करने के प्रयोजनार्थ विशेष आमंत्रियों के रूप में उपयुक्त बैठक में नामित किया जा सकता है।

(22) जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के सदस्यों द्वारा बैठक में भाग लेने अथवा परामर्श देने हेतु उन्हें किसी प्रकार का कोई मानदेय देय नहीं होगा।

(23) पर्यटन परिषद की बैठक प्रत्येक तीन मास में अथवा उससे पूर्व यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष की अनुमति से पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आहूत किया जायेगा।

2. कृपया उक्त नीति को क्रियान्वित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अमृत अभिजात)
सचिव।

<u>संख्या-116/2015/1890(1)/41-2015 तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ट पुलिस अधीक्षक/मुख्य विकास अधिकारी/सम्भागीय वनाधिकारी/नगर आयुक्त/जिला सूचना अधिकारी/जिला कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।

3- सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0 सडक परि0 नि0/क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी/ उपनिदेशक, पर्यटन विभाग/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, उ0प्र0।

4- श्री राजाराम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को वेबसाइट पर डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।

5- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in